

एनेक्सचर (1)

दिशा निर्देश

- नगर पालिक निगम भोपाल सीमा में आने वाले समस्त बड़े पंडाल/झाँकियों को भाग लेने हेतु नामांकन भरने हेतु आमंत्रण है। (एनेक्सचर 2)
- झाँकी स्वच्छता समिति को दिए गए पैरामीटर के अनुसार स्वच्छतम झाँकी के लिए अनुकरण कराना होगा। (एनेक्सचर 3)
- समितियों को एक झाँकी स्वच्छता समिति गठित करनी होगी जिनके कार्य एवं भूमिका संबंधी जानकारी नामांकन फार्म के साथ ऑनलाईन उपलब्ध है। (एनेक्सचर 4)
- झाँकी परिसर में आए हुए नागरिकों द्वारा नागरिक प्रतिक्रिया फार्मेट (citizen feed back) भरवाना। (एनेक्सचर 5)
- स्वच्छतम झाँकी का मूल्यांकन नगर पालिक निगम, भोपाल द्वारा निर्धारित समिति द्वारा मूल्यांकन गाइड लाइन के आधार पर किया जायेगा।
- पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए आस-पास के घरों से मूर्तियां एकत्रित कर उसे नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा निर्धारित घाट पर विर्सजित कराना है।
- नामांकन पत्र 30/08/2017 से पहले अपने क्षेत्र के जोनल कार्यालय में या हर्षवर्धन शॉपिंग काम्पलेक्स, माता मंदिर, नगर पालिक निगम भोपाल के कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं।
- झाँकी स्वच्छता समिति द्वारा रिपोर्ट एवं नागरिक प्रतिक्रिया फार्म 07/09/2017 तक हर्षवर्धन शॉपिंग काम्पलेक्स, माता मंदिर, नगर पालिक निगम भोपाल के कार्यालय में जमा कराये।

संपर्क दूरभाष नं – 0755-2701679



एनेक्सचर (2)

## नामांकन पत्र (Registration Form)

- ❖ झाँकी समिति का नाम .....
  - ❖ झाँकी उत्सव समिति के अध्यक्ष का नाम .....
  - ❖ झाँकी उत्सव समिति के अध्यक्ष का मोबाईल नं. ....
  - ❖ झाँकी के अन्य संबंधित व्यक्ति का मोबाईल नं. ....
  - ❖ झाँकी का पता.....
  - ❖ झाँकी का क्षेत्रफल .....
  - ❖ झाँकी में आने दर्शालु की लगभग संख्या .....
  - ❖ सम्मिलित हो रही झाँकी में गठित स्वच्छता समिति के लोगो का नाम
1. ....
  2. ....
  3. ....
  4. ....
  5. ....
  6. ....
  7. ....
  8. ....
  9. ....
  10. ....

अध्यक्ष

गणेश उत्सव समिति

पता:—.....

संपर्क नं.....



एनेक्सचर (3)

## स्वच्छतम झाँकी के पैरामीटर

- झाँकी समिति का नाम .....
  - झाँकी उत्सव समिति के अध्यक्ष का नाम .....
  - झाँकी उत्सव समिति के अध्यक्ष का मोबाईल नं. ....
  - झाँकी के अन्य संबंधित व्यक्ति का मोबाईल नं. ....
  - झाँकी का क्षेत्रफल .....
  - झाँकी परिसर का पता .....
1. क्या झाँकी परिसर में उपयोग किए गए सामान/मूर्तिया पर्यावरण संरक्षण (ECO Friendly) को ध्यान में रखकर उपयोग किए गए हैं।
    - 100% से 50% सामान/मूर्तिया पर्यावरण संरक्षित है।
    - 50% से 25% सामान/मूर्तिया पर्यावरण संरक्षित है।
    - 25% से 10% सामान/मूर्तिया पर्यावरण संरक्षित है।
    - 10% से कम सामान/मूर्तिया पर्यावरण संरक्षित है।
  2. झाँकी परिसर में तथा उसके आस-पास 50 मी. के दायरे में रोजाना झाड़ू की व्यवस्था है।
    - दिन में दो बार झाड़ू लगती है।
    - दिन में एक बार झाड़ू लगती है।
    - केवल झाँकी परिसर में झाड़ू की व्यवस्था है। तथा आप-पास नहीं है।
    - कोई व्यवस्था नहीं है।
  3. झाँकी परिसर में तथा उसके आस-पास 50 मी. के दायरे में 10-10 मी. की दूरी पर दो डस्टबिन (गीला एवं सुखा कचरा) की व्यवस्था है।
    - झाँकी परिसर व आस-पास 10-10 मी. की दूरी पर डस्टबिन रखे हैं।
    - झाँकी परिसर में ही 10-10 मी. की दूरी पर डस्टबिन रखे हैं।
    - डस्टबिन है पर 10-10 मी. की दूरी पर नहीं रखे हैं।
    - कहीं भी डस्टबिन नहीं है।



4. झाँकी परिसर में तथा आस-पास 50 मी. के दायरे में रखे गए दो डस्टबिन में गीला व सूखे कचरे का पृथक्करण हो रहा है।
- 90% से 100%
  - 50% से 90%
  - 25% से 10%
  - 10% से कम
5. झाँकी परिसर तथा आस-पास 50 मी. के दायरे में रखे डस्टबिन के गीला कचरे (निर्मालय, हवन सामग्री, भण्डारे का जैविक कचरा) का निष्पादन कैसे हो रहा है।
- नगर निगम द्वारा चलाई जा रही गाड़ी में हो रहा है। जो ब्युचवेज के उपयोग में आयेगा।
  - नगर निगम के रखे गए कंटेनरो में हो रहा है।
  - झाँकी समिति ने अपनी व्यवस्था की है। ( अगर झाँकी परिसर में खुद की व्यवस्था है। तो उसके बारे में लिखे) .....
  - कोई व्यवस्था नहीं है।
6. झाँकी परिसर तथा आस-पास 50 मी. के दायरे में रखे डस्टबिन के सूखे कचरे का निष्पादन कैसे हो रहा है।
- नगर निगम द्वारा सूखा कचरा एकत्रित करने वाली गाड़ी में हो रहा है।
  - नगर निगम के रखे गए कंटेनरो में हो रहा है।
  - झाँकी समिति ने अपनी व्यवस्था की है। अगर है तो लिखे.....
  - कोई व्यवस्था नहीं है।
7. कोई विशेष स्वच्छता जागरूकता गतिविधियाँ संचालित की जा रही है। जैसे नुक्कड़ नाटक, गीत, स्लोगन / श्रमदान / शपथ / संकल्प आदि।
- 10 से ज्यादा गतिविधियाँ
  - 10 से 5 गतिविधियाँ
  - 5 से 1 गतिविधियाँ
  - कोई गतिविधि नहीं



8. प्रसाद वितरण के लिए उपयोग कि गए दोने-पत्तल गिलास व चम्मच का उपयोग।
  - 90% से 100% पर्यावरण संरक्षित (कागज एवं पत्तो के उपयोग से बनी चीजे)
  - 50% से 90% पर्यावरण संरक्षित (कागज एवं पत्तो के उपयोग से बनी चीजे)
  - 50% से 25% पर्यावरण संरक्षित (कागज एवं पत्तो के उपयोग से बनी चीजे)
  - 25% से कम पर्यावरण संरक्षित (कागज एवं पत्तो के उपयोग से बनी चीजे)
  
9. झाँकी परिसर में स्वच्छता संबंधी माइक द्वारा विज्ञापन हो रहा है।
  - दिन में 8 से 10 बार
  - दिन में 5 से 8 बार
  - दिन में 5 से कम
  - दिन में बिल्कुल नहीं
  
10. झाँकी परिसर में तथा आस-पास 50 मी. के दायरे में 10-10 मी. की दूरी पर स्वच्छता के बैनर पोस्टर द्वारा विज्ञापन हो रही है। (जैसे कचरा डस्टबिन में डाले, परिसर में थूके ना आदि)
  - परिसर व आस-पास 50 मी. के दायरे में बैनर लगाए है।
  - सिर्फ परिसर में लगाए है।
  - बैनर पोस्टर है पर 10-10 मी. की दूरी पर नहीं रखे है।
  - कही भी नही लगाए है।
  
11. झाँकी समिति आस-पास के घरों में स्थापित कितनी छोटी मूर्तियाँ एकत्रित करती है।
  - 75 से ज्यादा
  - 75 से 50
  - 50 से 25
  - 25 से कम
  
12. गणपति विसर्जन की व्यवस्था है।
  - नगर निगम द्वारा निर्धारित विसर्जन घाट पर।
  - शहर में स्थित नदी-तालाबों में।
  - शहर के बाहर स्थित नदी-तालाबों में।
  - कोई अलग व्यवस्था है। तो वो क्या है।



13. क्या आपने झाँकी में पर्यावरण संरक्षित या स्वच्छता के बिन्दु को ध्यान में रखते हुए कुछ नवाचार किया है। यदि हाँ तो एक पेज में व्याख्या करें।
14. झाँकी में भरवाये गए फीडबैक फार्म की संख्या।
15. स्वच्छता समिति द्वारा किये गए कार्य का विवरण।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



एनेक्सचर (4)

## गठित स्वच्छता समिति की भूमिका एवं जिम्मेदारी

- झाँकी परिसर एवं उसके आस-पास 50 मी. के दायरे में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- नगर निगम द्वारा प्राप्त सुविधाएँ झाँकी में पहुँच रही है या नहीं सुनिश्चित करना।
- परिसर एवं उसके आस-पास 50 मी. के दायरे में हर 10 मीटर में दो डस्टबिन (गीला व सुखा) स्वयं समिति द्वारा रखवाना एवं समय-समय पर खाली करवाना।
- परिसर एवं उसके आस-पास 50 मी. के दायरे में अगर कोई गंदगी फैला रहा है, उसे रोकना व टोकना।
- झाँकी परिसर एवं उसके आस-पास 50 मी. के दायरे में झाड़ू लग रही है, सुनिश्चित करना।
- झाँकी में स्वच्छता के बिन्दुओं का प्रचार-प्रसार करना जैसा माईक द्वारा स्वच्छता का संदेश देना, बैनर लगाना, एवं स्वच्छता से संबंधित गतिविधियाँ करवाना।
- झाँकी परिसर में स्वच्छता से संबंधित नवाचार कराना।
- झाँकी में किये गये कार्यों की रिपोर्ट बनाकर फोटो के साथ नगर निगम में जमा करवाना।
- रिपोर्ट के साथ नागरिक प्रतिक्रिया (Feedback Form) भी नगर निगम में जमा करवाना।
- घरों से एकत्रित मूर्तियों को एक स्थान पर रख कर फोटो खींचना तथा रिपोर्ट के साथ संलग्न करना।
- झाँकी परिसर में आस-पास घरों में बिठाए गए गणपति जी की छोटी मूर्तियों को एकत्रित कर सुनिश्चित करे की सभी मूर्तियाँ नगर निगम द्वारा निर्धारित विसर्जन घाट पर ही विसर्जित हो। विसर्जन घाट पर लाई गई मूर्तियों का मूल्यांकन उपस्थित अधिकारी द्वारा किया जायेगा, स्वच्छता समिति उपस्थित अधिकारी से संपर्क कर लाई गई मूर्तियों की संख्या लिखवायेगे तथा जो जितनी मूर्तियाँ नगर निगम द्वारा सुनिश्चित घाट पर लायेगा उसको उतने नम्बरो का फायदा होगा।



## एनेक्सचर (5) नागरिक प्रतिक्रिया फार्मेट ( CITIZEN FEEDBACK FORMAT)

नाम..... मोबाईल नं.....

पता.....

- क्या आपको झाँकी परिसर साफ—सुथरा दिख रहा है।

हाँ  नहीं

- क्या आपको झाँकी परिसर में दो डस्टबिन (गिला व सुखा) 10 मी. की दूरी पर दिख रहे हैं।

हाँ  नहीं

- क्या आपको झाँकी में झाडु लगती हुई दिख रही है।

हाँ  नहीं

- झाँकी में प्रसाद वितरण के लिये दी गई प्लेट्स पर्यावरण संरक्षित चीजों से बनी है (जैसे कागज के दोने पत्तल, पत्तों से बने हुए दोने पत्तल)

हाँ  नहीं

- क्या किसी के थूकने या गंदगी फैलाने पर वहाँ की स्वच्छता समिति ने उनको रोका है।

हाँ  नहीं

- क्या झाँकी समिति द्वारा बीच—बीच में स्वच्छता के संदेश का प्रचार—प्रसार हो रहा है।

हाँ  नहीं

- भोपाल की स्वच्छता के लिए आपके विचार— .....

.....

.....

.....

.....

.....